

01.01.2022:-आज यह पत्रावली प्रार्थीगण वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र में राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में राजीनामा होने के कारण मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

(डॉ अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक केलक्टर
हनुमानगढ



Web Copy - Not